सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या- NCST/DEV-2658/JH/94/2024-ESDW

दिनांक: 26th अगस्त, 2025

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला-लातेहार,
समाहरणालय भवन,कार्यालय उपायुक्त,
जिला-लातेहार, झारखंड - 829206
ई-मेल : dc-lat@nic.in

विषय:- कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड बाना (चकला) लातेहार के द्वारा मैनपावर कर्मचारियों के अधिकारों के हनन एवं परिसंपतियों का दोहन करने के संबंध में श्री चन्द्रदेव उरांव, ग्राम-दामोदर,पोस्ट-दामोदर, थाना-चंदवा, जिला-लातेहार,झारखंड-829203 से दिनांक 07.02.2024 का अभ्यावेदन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक **05.08.2025 को प्रातः 11.40 बजे** आयोग की माननीया सदस्य (डॉ.आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में होने वाली सिटिंग का संदर्भ लें। इस सिटिंग का **कार्यवृत्त** इस पत्र के सथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है कि इस सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट इस आयोग को **15 दिन के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

26.8.25

(योगेन्द्र प्र. यादव/Y.P.Yadav)
उप सचिव/Deputy Secretary
Telephone No. : 011-24615012
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्री चन्द्रदेव उरांव,
ग्राम-दामोदर,पोस्ट-दामोदर,
थाना-चंदवा, जिला-लातेहार,
झारखंड-829203
मोबाइल: 9508264226

(ii) माननीया सदस्य (डॉ.आशा लकड़ा) के निजी सचिव

(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) - अपलोडिंग के लिए

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-2658/JH/94/2024-ESDW

कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड, बाना (चकला), लातेहार द्वारा मैनपावर कर्मचारियों के अधिकारों के हनन एवं परिसंपत्तियों का दोहन करने के संबंध में श्री चन्द्रदेव उरांव, ग्राम दामोदर, पोस्ट दामोदर, थाना चंदवा, जिला - लातेहार, झारखंड 829203 से दिनांक 07.02.2024 के अभ्यावेदन के मामले में दिनांक 05.08.2025 को आयोग मुख्यालय में पूर्वाहन 11:40 बजे आयोग के माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.08.2025 को 11:40 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागीः अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री चन्द्रदेव उरांव का अभ्यावेदन दिनांक 07.02.2024 को आयोग में प्राप्त हुआ। इस मामले में आवेदक ने बताया है कि अभिजीत कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा वर्ष 2007-08 में 1080 मेगावाट का थर्मल पावर संयंत्र स्थापित करने हेतु झारखंड राज्य के लातेहार जिला अंतर्गत ग्राम चकला (बाना) में भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसके एवज में प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा दिया गया एवं नौकरी सहित अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया। संयंत्र की स्थापना के पश्चात कुछ ग्रामीणों को कम वेतन पर नौकरी दी गई, किंतु वर्ष 2011 में कंपनी का कोल ब्लॉक आवंटन रद्द हो जाने के उपरांत सभी मैनपावर कर्मचारियों का वेतन एवं भविष्य निधि (PF) बंद कर दी गई। कंपनी द्वारा यह आश्वासन देते हुए कार्य कराया जाता रहा कि संयंत्र पुनः प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 2016 में ARCIL नामक कंपनी ने CPL (कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड) का कार्यभार ग्रहण किया। ARCIL के प्रमुख द्वारा मैनपावर कर्मचारियों को पुनः नियोजित किया गया, परंतु केवल पूर्व वेतन का 25% भुगतान किया गया तथा PF की राशि आज तक नहीं दी गई है। अतः इस संबंध में आवेदक ने आयोग से उचित कार्रवाई कर उन्हें उनका हक एवं बकाया राशि दिलवाने तथा उनकी परिसंपत्तियों के दोहन को रोकने की मांग की है।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त, जिला-लातेहार, झारखंड को दिनांक 27.02.2024 को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में उपायुक्त, जिला-लातेहार, झारखंड से दिनांक 07.05.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई,जो कि संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः दिनांक 27.02.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई। पिछली सुनवाई का कार्यवृत संबंधित अधिकारियों एवं आवेदक को भेजा गया।पिछली सुनवाई के कार्यवृत के संबंध में कोई ATR प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक 05.08.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई। तदनुसार सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

4. आयोग में सुनवाई के दौरान उपायुक्त, लातेहार बैठक में स्वयं उपस्थित नहीं हुए; उनके प्रतिनिधि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), लातेहार उपस्थित हुए। आवेदक श्री चन्द्रदेव उरांव बैठक में स्वयं उपस्थित रहे।

<u>सभी पक्षों की बात सुनने के पश्चात, आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई:</u>

1. जिन 243 कर्मचारियों का भविष्यनिधि (PF) भुगतान लंबित है, वे सभी संबंधित दस्तावेजों सहित एक लिखित शिकायत उपायुक्त, लातेहार को प्रस्तुत करें।
2. प्लांट से संबंधित कर्मचारियों को प्रवेश निषेध की स्थिति से अवगत कराते हुए मामले की गंभीर जांच की जाए और उन्हें नियमानुसार प्लांट में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए।
3. राज्य के श्रम विभाग को मामले की सूचना दी जाए ताकि वे मजदूरों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएं एवं बकाया मजदूरी संबंधी समस्याओं का शीघ्र निपटारा करें।
4. उपायुक्त, लातेहार द्वारा समग्र तथ्यों की विस्तृत जांच कर यह प्रतिवेदन आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए कि:
   (i) कर्मचारियों का वेतन एवं PF अब तक क्यों नहीं दिया गया?
   (ii) अब तक इस विषय में क्या कदम उठाए गए हैं?

21/8/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi